



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 5016

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44804 सन् 2025

अरुण कुमार

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता	:- मनीष कुमार, सौरभ चौधरी
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री राजेश कुमार सिंह, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री एन.के. तिवारी के प्राधिकार के अंतर्गत श्री शांतनु कुमार पांडेय, विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक अरुण कुमार की ओर से मामला अपराध संख्या 187 of 2025, विद्युत अधिनियम की धारा 136/(1)/(सी) के अंतर्गत, थाना तितावी, जिला मुजफ्फर नगर में जमानत पर विस्तार हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामला अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है और वह दिनांक 4.9.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त मॉटी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 35257 of 2025 में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उसके तीन मामलों का आपराधिक पूर्ववृत्त है जिसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है और जमानत पर रिहा होने की दशा में न्याय के मार्ग से फरार होने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया किंतु उक्त तथ्य से इनकार नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथमदृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **अरुण कुमार**, जो उपर्युक्त मामला अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसी राशि की व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें धमकी नहीं देगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधोस्तरीय न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश